सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 31/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :– 20.02.2024

1. शान्ति बाई पुत्री स्व0 श्री लाला जाति माली निवासी अमरत्या।
2. विमला बाई पुत्री स्व0 श्री लाला जाति माली निवासी अमरत्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बरधी बाई पत्नी स्व0 श्री लाला जाति माली निवासी अमरत्या।
2. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
वकील अप्रार्थी संख्या 1 :– श्री मुकेश शर्मा

दिनांक :– 28/11/2024

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 4211, 4219, 4332, 4845, 4846, 4847, 4848, 4851, 4852, 4854, 4855, 4872 कुल किता 12 कुल रकबा 1.0197 हैक्टेयर वाके ग्राम अमरत्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थीगण के पिता लाला पिता कल्याण की सहखातेदारी में दर्ज थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। भूमि खसरा संख्या 4805, 4810, 4812 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4371 हैक्टेयर वाके ग्राम अमरत्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थीया के पिता लाला पिता कल्याण की सहखातेदारी में दर्ज थी प्रार्थीगण के पिता के नाम सहखातेदारी में दर्ज थी। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु होने के उपरान्त उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में विरासत दर्ज की गई। पटवारी हल्का द्वारा लाला की मृत्यु के बाद दर्ज की गई विरासत में त्रुटिवश शान्ति का नाम धन्नी दर्ज कर दिया व ईमला का नाम बिमला दर्ज कर दिया जो गलत है क्योंकि प्रार्थीगण का नाम शान्ति बाई व ईमला बाई पुत्रिया लाला है। पटवारी हल्का द्वारा नाम गलत इन्द्राज कर दिया गया है। जिसके इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना न्यायहित मैं आवश्यक है। प्राथीगण शादी के बाद अपने ससुराल ग्राम हिण्डोली में निवास कर रही है और उपरोक्त भूमियों पर अपने पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण की माता बरधी बाई ही देख

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

रेख कर रही है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त राजस्व रिकॉर्ड में किए गए गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं हुई है। दिनांक 02.01.2024 को प्रार्थीगण ने अपने सहखातेदारी की उपरोक्त भूमि पर प्रधानमंत्री किसान सम्बल निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने हेतु जमाबंदी की नकल निकलबाई तब प्रार्थीगण को प्रथम बार जानकारी हुई कि प्रार्थीया शान्ति बाई के नाम के स्थान पर धन्नी बाई व ईमला बाई के स्थान पर विमला बाई गलत दर्ज किया हुआ है और प्रार्थीगण के पहचान के सभी दस्तावेजात में यानि शैक्षणिक दस्तावेजात व जन आधार कार्ड आदि में प्रार्थीगण का नाम शान्ति बाई व ईमला बाई हीह" उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु प्रार्थीगण ने दिनांक 10.01.2024 को तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों में नाम के गलत इन्द्राज होने व पहचान के सभी दस्तावेजात में प्रार्थीगण का नाम शान्ति बाई व ईमला बाई अंकित होने से प्रार्थीगण उक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रही है ऐसी स्थिति में न्यायहित में नाम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में मृतक लाला की पत्नी बरधी बाई जो हितबद्ध पक्षकार है व राज्य सरकार जर्यै तहसीलदार हिण्डोली जिनके द्वारा इन्द्राज की शुद्धि की जारी है जिनको प्रकरण में पक्षकार बनाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। भूमि के अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने व अन्य सहखातेदारों का हित प्रभावित नहीं होने से व आवश्यक पक्षकार नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया गया है। विरासत के नामान्तकरण से नामान्तकरण गलत दर्ज होने व व जमाबन्दी में गलत इन्द्राज हो जाने से नाम के इन्द्राज की अशुद्धि को श्रीमान को 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत दुरूस्त करने का अधिकार है। भूमि वाके ग्राम अमरत्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अवधि मध्य निर्धारित कोर्टफीस व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना प. स्वीकार किया जाकर ग्राम अमरत्या की भूमि खाता संख्या 243 में वर्णित भूमि भूमि खसरा संख्या 4211, 4219, 4332, 4845, 4846, 4847, 4848, 4851, 4852, 4854, 4855, 4872 कुल किता 12 कुल रकबा 1.0197 हैक्टेयर व भूमि खसरा संख्या 4805, 4810, 4812 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4371 हैक्टेयर वाके ग्राम अमरत्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में दर्ज धन्नी पुत्री लाला के स्थान पर शान्ति बाई पुत्री लाला व विमला पुत्री लाला के स्थान पर ईमला पुत्री लाला व बिमला पुत्री लाला के इन्द्राज को विलोपित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अंकित भूमि में दर्ज धन्नी पुत्री लाला के स्थान पर शान्ति बाई पुत्री लाला व विमला पुत्री लाला के स्थान पर ईमला पुत्री लाला किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 पेरोकार सरकार द्वारा तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार धन्नी पुत्री लाला व शान्ति बाई पुत्री लाला एक ही महिला का नाम होना व विमला पुत्री लाला व ईमला पुत्री लाला एक ही महिला का नाम अंकित किया है।

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/24/1100 दिनांक :– 07.06.2024 द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम अमरत्या के खाता संख्या 243 में वर्णित भूमि भूमि खसरा संख्या 4211, 4219, 4332, 4845, 4846, 4847, 4848, 4851, 4852, 4854, 4855, 4872 कुल किता 12 कुल रकबा 1.0197 हैक्टेयर व भूमि खसरा संख्या 4805, 4810, 4812 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4371 हैक्टेयर वाके ग्राम अमरत्या में दर्ज धन्नी पुत्री लाला के स्थान पर शान्ति पुत्री लाला तथा विमला पुत्री लाला के स्थान पर ईमला पुत्री लााला दर्ज करवाना चाहा है। मौके पर उपस्थित सहखातेदारान/मौतबिरानों से जानकारी करने पर बताया गया कि धन्नी पुत्री लाला व शान्ति बाई पुत्री लाला एक ही महिला का नाम होना व विमला पुत्री लाला व ईमला पुत्री लाला एक ही महिला का नाम है एवं उक्त शुद्धि किए जाने में अपनी सहमति होना बताया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धन्नी पुत्री लाला व शान्ति बाई पुत्री लाला एक ही महिला का नाम होना व विमला पुत्री लाला व ईमला पुत्री लाला एक ही महिला का नाम है जिन्हें मुताबिक प्रार्थना के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी संख्या 1 व जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जनाआधार कार्ड, बैंक खाता डायरी, विद्यालय अंकतालिकाएँ पेश किए है जिनमें प्रार्थीगण का नाम शान्ति बाई व ईमला दर्ज है, जो कि वर्तमान जमाबंदी में शाति बाई का नाम धन्नी पुत्री लाला व ईमला का नाम विमला पुत्री लाला अंकित है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी संख्या 1 व जबाव पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 243 में वर्णित भूमि भूमि खसरा संख्या 4211, 4219, 4332, 4845, 4846, 4847, 4848, 4851, 4852, 4854, 4855,

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

4872 कुल किता 12 कुल रकबा 1.0197 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 68 खसरा संख्या 4805, 4810, 4812 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4371 हैक्टेयर वाके ग्राम अमरत्या पटवार मण्डल अमरत्या तहसील हिण्डोली में दर्ज धन्नी पुत्री लाला के स्थान पर शान्ति बाई पुत्री लाला व विमला पुत्री लाला के स्थान पर ईमला पुत्री लाला शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 28.11.2024 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

28/11/2024

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446